# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

E-mail id – deosarangarhbilaigarh2022@gmail.com

क्र0 / 725 / अशास.विद्या. / मान्य.नवीनी. / 2022–23 सारंगढ़–बिलाईगढ़ दिनांक 16/01/2023

प्रति,

प्राचार्य,
सी.पी.एम. हॉयर सेकेण्डरी स्कूल सारंगढ़
वि.ख. सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ.ग.

विषय – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के प्रयोजन के लिए नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र बाबत।

संदर्भ – 1 / प्राचार्य, सी.पी.एम. हायर सेकेण्डरी स्कूल सारंगढ़ का आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2023।

2 / निरीक्षणकर्ता सहायक वि.ख.शि.अधि.सारंगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्र0 / 70 दिनांक 16.01.2023।

––00––

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है आपकी संस्था को इस कार्यालय के पत्र क्र0 / 634 / मान्यता / 2022–23 सारंगढ़–बिलाईगढ़ दिनांक 12.01.2023 द्वारा नामित सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16.01.2023 के आधार पर (यू–डाईस कोड – 22041629748) को कक्षा – नर्सरी से कक्षा – 11वीं तक सत्र 2022–23 मे मान्यता नवीनीकरण सत्र 2023–24 मे कक्षा 12वीं "CBSE BOARD" प्रारंभ करने के लिए ( प्रथम भाषा – अंग्रेजी, द्वितीय भाषा – हिन्दी, कला संकाय – 1 भूगोल,, 2 सामाजिक विज्ञान, 3 राजनीति, 4 अर्थशास्त्र, विज्ञान संकाय – 1 भौतिक शास्त्र, 2 रसायन शास्त्र, 3 जीवविज्ञान, 4 गणित, वाणिजय संकाय – 1 व्यवहारिक अर्थशास्त्र, 2 बहीखाता, 3 व्यापार अध्ययन, 4 अर्थशास्त्र, कृषि संकाय 1 उद्यानिकी, पशुपालन व सभी अनिवार्य विषय) अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शाला संचालन करने हेतु अनुमति प्रदान करने की संसूचना छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, दिनांक 09.09.2022 के संशोधन आदेश पत्र क्रमांक एफ 2–39 / 2019 / 20–दो नवा रायपुर दिनांक 09.09.2022 अनुसार सौंपे गए दायित्व के परिपालन मे निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन दिया जाता है :–

**मान्यता / नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें :–**

1. प्रवेशित कक्षा के कक्षा-8वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उल्लेखित मानको के सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नही, हानि नही (N0 Loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जावेगा।
3. सोसायटी / विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्ययीन नही करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Manager
CPM Hr.Sec.Eng.Med.School
Sarangarh
Distt.-Sarangarh-Bilaigarh(C.G.)

Principal
CPM Hr. Sec. Eng. Med. School
Sarangarh
DIST.- SARANGARH-BAILAIGARH (C.G.)

Digitally signed by PantaSign Sub CA for DSC 2022
Date: 2023.12.21 21:48:50 +05:30
Reason: Reason
Location: location

5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानेको और संनियमो के अनुसार विद्यालय के लिए निम्नलिखित अद्योसंरचना होना अनिवार्य है :–

- विद्यालय का भवन – प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक–पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/प्रधान पाठक एवं स्टॉफ के लिए पृथक–पृथक कक्ष।
- स्टॉफ, छात्र, छात्राओ के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था ।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिए की फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित ध्यापको की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।
- बाधारहित पहुंचमार्ग।
- क्रीड़ा खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय/प्रयोगशाला की पृथक –पृथक उपलब्धता।

6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1000 (1000 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
7. विद्यालयों के लेखाओ की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहित और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहित तथा उचित लेखा विवरण, नियमो के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
8. आपके विद्यालय का यू डाईस कोड – 22041629748 को पत्राचार के लिए उललेख करें।
9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग. शासन एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय/संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग्र बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशो का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दर करने के लिए जारी किए गए हो।
10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति मे संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.ख.शि.अधि. को तीन मास पूर्व लिखित मे कारण सहित संसूचित करने होगे।
12. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कोविड 19 के संबंध मे छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समनय–समय पर जारी निर्देशो का पालन करते हुए शाला का संचालन करना होगा।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ .छ.ग.

Manager
CPM Hr.Sec.Eng.Med.School
Sarangarh
Distt.-Sarangarh-Bilaigarh(C.G.)

Principal
CPM Hr. Sec. Eng. Med. School
Sarangarh
DIST.- SARANGARH-BAILAIGARH (C.G.)

पृ0क्र0 / 726 / अशास.विद्या. / मान्य.नवीनी. / 2022–23 सारंगढ़–बिलाईगढ़ दिनांक 16/01/2023

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर जिला–रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन, नवा रायरपुर, अटलनगर छ.ग.
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग.
5. कलेक्टर, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ.ग. ......................की ओर सादर सूचनार्थ।
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. सारंगढ़ को सूचनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी /
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ.ग.

Manager
CPM Hr.Sec.Eng.Med.School
Sarangarh
Distt.-Sarangarh-Bilaigarh(C.G.)

Principal
CPM Hr. Sec. Eng. Med. School
Sarangarh
DIST.- SARANGARH-BAILAIGARH (C.G.)